ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01/04/2024 से 31/03/2025 तक

भाग-एक

1 **प्रस्तावना**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

(ख) अंकेक्षण अवधि 01-04-2024 से 31-03-2025 तक के दौरान ग्राम पचांयत भराड़ा में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे।

प्रधान

क्रम संख्या	**पदाधिकारी का नाम**	**अवधि**
	श्री हीरा लाल (देहांत)	01-04-2024 से 28-03-2025 तक

सचिव

क्रम संख्या	**सचिव का नाम**	**अवधि**
1	श्री चैन लाल	01-04-2024 से 28-08-2024 तक
2	श्री कमल देव	28-08-2024 से 31-03-2025 तक

(ग) गम्भीर अनियमितताओं का सार

ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं

का सार निम्न प्रकार से है। जोकि उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक कार्यवाई हेतु विशेष रूप से लाई जाती है।

क्र० स०	गम्भीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (₹ लाखों में)
01.	पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि की वसूली न करना एवं विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना।	7.2	0.58
02.	ठेकेदारों/संविदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकारी राजकोष को वित्तीय हानि बारे।	8.1	0.14
03.	कनिष्ट अभियंता स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।	8.2	-------
04.	मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय करने बारे एवं अन्य लेखों के रख-रखाव में पाई गई विविध अनियमिततायों बारे।	9.1 - 9.4	------

(घ) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत भराड़ा का अंकेक्षण, अवधि 04/2019 से 03/2021 तक के लिये किया गया था जिसमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के समायोजन बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/02 दिनांक [illegible]0-06-2025 द्वारा सचिव को स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव ने बताया कि, गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनिर्णीत पैरों पर शीघ्र ही आवश्यक कार्यवाई उपरान्त विभाग को सूचित कर दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। गत अंकेक्षण पैरों पर कोई भी कार्यवाई न करना न केवल नियमों के प्रतिकूल है, अपितु इससे अंकेक्षण का प्रयोजन ही निष्फल हो जाता है गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में कई गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें यथा राशि

का[illegible]र्विनियोजन, अधिक/अनुचित भुगतान इत्यादि से सम्बन्धित अनियमिततायें पाई गई थी जि[illegible]का समायोजन न किया जाना आपत्तिजनक है। यह गम्भीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के ध्या[illegible]र्थ विशेष तौर से लाया जाता है। विगत अंकेक्षण प्रतिवेदन में शामिल पैरों पर शीघ्र ही का[illegible]ाई की जानी सुनिश्चित की जाये तदानुसार कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा वि[illegible]ा को शीघ्र अवगत करवाये जाये। वर्तमान अंकेक्षण उपरान्त गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरों[illegible]ी स्थिति निम्न प्रकार से है :-

1. [illegible]केक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2019 से 03/2021 तक

क्र[illegible] सं[illegible]	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1	03	अनिर्णीत	-
2	04	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित।
3	05	अनिर्णीत	-
4	06	अनिर्णीत	-
5	07	अनिर्णीत	-
6	08	अनिर्णीत	-
7	09	अनिर्णीत	-
8	10	अनिर्णीत	-
9	11	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
1[illegible]	12	अनिर्णीत	-
1[illegible]	13	अनिर्णीत	-
1[illegible]	14	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
1[illegible]	15	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत

14.	16	निर्णीत	विशेष पैरा समायोजन अभियान के दौरान निर्णीत
15.	17	अनिर्णीत	-
16.	18	अनिर्णीत	-
17.	19	अनिर्णीत	-
18.	20	अनिर्णीत	-
19.	21	अनिर्णीत	-
20.	22	अनिर्णीत	-
21.	23	अनिर्णीत	-
22.	24	अनिर्णीत	-
23.	25	अनिर्णीत	-
24.	26 (क,ख,ग)	अनिर्णीत	-
25.	27	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित
26.	28	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित
27.	29	अनिर्णीत	-

भाग- दो

2. वर्तमान अंकेक्षण

ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री पवन कुमार, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 30-06-2025 से 05-07-2025 तक ग्राम पंचायत भराड़ा के कार्यालय में निष्पादित किया गया। वर्तमान निधि लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया। जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	आय चयनित माह	व्यय चयनित माह
1.	2024-2025	04/2024	05/2024

अस्वीकरण:- "वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के निरीक्षण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"।

3 **अंकेक्षण शुल्क**

ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹6000/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को प्रेषित करने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/SML/2025/10 दिनांक 05-07-2025 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति**

ग्राम पंचायत भराड़ा द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

4.1 **(अ) स्वः-स्त्रोत व अनुदान:** ग्राम पंचायत भराड़ा के अवधि 04/2024 से 03/2025 तक स्वः स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1 व 2** में भी दिया गया है।

1. स्वः-स्त्रोत

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
2024-25	47912.32	606869.00	654781.32	394348.00	260433.32

2. अनुदान

वित्तीय वर्ष	अथ शेष	कुल प्राप्ति	कुल योग	कुल व्यय	अंतिम शेष
20242025	839497.00	19862825.40	20702322.40	19329811.40	1372511.00

कुल योग (1+2) **₹260433.32 + ₹1372511.00 = ₹1632944.32**

(ब) ग्राम पचांयत भराड़ा का दिनांक 31/03/2025 को बैंक खातों में [illegible]शेष विवरण

क्र० स०	अनुदान का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	राशि 31-03-2025
1.	15^{th} FC	19210120938	HPSCB Tissa	1709412.00
2.	Own Source , 5^{th} SFC	17710103141	HPSCB Bhanjrarau	527821.32
			Cash In hand	0.00
			TOTAL	**2237233.32**

अन्तर (ब-अ) 37233.32 - ₹1632944.32 = ₹604289.00

4.2 15वें वित्तायोग का अंकेक्षण अब केवल ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम[illegible] ही किये जाने के कारण इससे सम्बन्धित (वित्तीय विवरण व उससे सम्बन्धित पैरों को छ[illegible]कर) पैरों का विवरण ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल में अपलोड कर दिया जायेगा।

5.1 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व[illegible]क खातों के अन्तशेष में राशि ₹6.04 लाख का भारी अन्तर।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, ग्राम पंचायत भराड़ा द्वारा हि०प्र० पंच[illegible]ती राज (वित्त, बजट, लेखे संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम **7(3)** व **(10)(1**[illegible]की अनुपालना में मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की गई थी। जिस[illegible]रण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2025 को रोकड़ बही तथा बैंक [illegible]ों के अन्तशेष में राशि ₹604289 का अन्तर रोकड़बही में कम शेष के रूप में पाया गया। [illegible]सका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4.1 में दिया गया है।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 0[illegible]07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मा[illegible]क आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग क[illegible]अवगत करवा दिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवर[illegible] तैयार करके

बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तथा वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

5.2 **खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के **नियम 4** के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं। अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व:-स्त्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया है। अपितु इसे अनुदान 5th SFC के साथ एक बैंक खाता एवं एक ही रोकड़ बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 03-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया कि, पंचायत के स्व:-स्त्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा। उत्तर सन्तोषजनक नहीं है। अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्यवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

6.1 **विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की राशि ₹13.73 लाख का अवरोधन।**

पंचायत द्वारा **परिशिष्ट 1 व 2** पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31-03-2025 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹1[illegible]2511.00 की राशि (रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा।

उक्त राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 03-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि, भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा। अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम

अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

7.1 पंचायत राजस्व की वसूली गई राशि ₹1300 का दुर्विनियोजन करने बाबत।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें।

ग्राम पंचायत भराड़ा के आय हेतु चयनित माह की रसीदों की पड़ताल में पाया गया कि, ग्राम पंचायत द्वारा गृहकर के तौर पर निम्नविवरणानुसार राशि ₹1300 एकत्रित की गई थी परन्तु उक्त राशि को न तो रोकड़ बही में दर्ज किया गया था और न ही बैंक में जमा किया गया था जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इससे प्राप्त राशि का दुर्विनियोजन भी किया गया प्रतीत होता है।

क्रम	रसीद संख्या	वसूली की दिनांक रसीद अनुसार	कुल वसूली गई राशि	रोकड़ बही में दर्ज व बैंक में जमा राशि व दिनांक
1.	72401 से 72404	10-04-2024	800	शून्य
2.	72405 से 72408	10-04-2024	200	शून्य
3.	72406 से 72407	10-04-2024	300	शून्य
		कुल योग	**1300**	

उक्त गम्भीर प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या-09 दिनांक 04-[illegible]-2025 द्वारा सचिव के समक्ष वस्तुगत स्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, शीघ्र ही उक्त राशि को बैंक में जमा व रोकड़ बही में दर्ज कर दिया जायेगा।

उक्त प्रकरण एक गम्भीर मामला है जिसमें गृहकर के तौर पर वसूली गई राशि को न तो रोकड़बही में दर्ज किया गया और न ही बैंक में जमा किया गया जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: उक्त राशि को सम्बन्धित सचिव से दंडव्याज सहित वसूली उपरान्त

शीघ्र ही खाते में जमा करवाया जाये तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाये एवं कृत कार्रवाई/अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

7.2 गृहकर की बकाया राशि ₹0.58 लाख का वसूली हेतु लंबित पाया जाना।

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अविलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा।

ग्राम पंचायत भराड़ा के अंकेक्षण में पाया गया कि, पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व कुल वकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेखानुसार निम्न राशि ₹58400 वसूली हेतु शेष थी।

वित्तीय वर्ष	**गत शेष**	**कुल परिवार**	**दर**	**वर्ष के दौरान मांग**	**कुल मांग**	**कुल प्राप्त राशि**	**बकाया राशि**
2024-[illegible]	116850	465	50	23250	140100	81700	58400

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि, पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उत्तर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की

बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.3 विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष में जमा न करना

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1996 की धारा [illegible] एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3[illegible]/97, दिनांक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिनांक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिनांक 2[illegible]0-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण के शुल्क की वसूली करने उपरान्त वसूली गई राशि को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा निम्न विवरणानुसार विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि ₹1075/- को सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया था अपितु इसे पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

वित्तीय वर्ष	कुल पंजीकृत विवाह	APL Rate		राशि	BPL Rate		[illegible]	कुल राशि सामान्य व BPL
		Without LateFee	With LateFee		Without Late Fee	With LateFee		
2024-2025	15	04x200	-	800	11x25	-	[illegible]	1075
कुल योग	**15**	**04x200**	**-**	**800**	**11x25**		[illegible]	**1075**

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-08 दिनांक 04-07-202[illegible] के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा बताया कि, विवाह पंजीकरण शुल्क को पंचायत के बैंक खाते में रखा गया है इसे शीघ्र ही सरकारी राजकोष में जमा करवा दिया जायेगा। अत: उक्त राशि की वसूली उपरान्त सरकारी राजकोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा गत वर्षों में इस प्रकार से सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाई गई राशि को भी जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये।

भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

8.1 संवेदाकारों से टी०डी०एस० की कटौती न करने के कारण सरकार को राशि ₹0.14 लाख की वित्तीय हानि बारे।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 (C,I) एवं GST वस्तु व सेवा कर अधिनियम 2017 के अनुसार आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा भुगतान करने से पूर्व TDS की कटौती करना एवं उसे सरकारी कोष में समयबद्ध तिथि को जमा करवाना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत भराड़ा के चयनित माह के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान संलगन **परिशिष्ट "3"** के अनुसार राशि ₹703000/- का भुगतान किया गया। परन्तु उक्त भुगतान करते समय स्त्रोत पर कर कटौती (TDS) नहीं की गई थी। जिससे आयकर अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों की अवहेलना हुई है जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व के तौर पर राशि ₹14060/- (2%) की वित्तीय हानि हुई।

इस अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-04 दिनांक 03-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, टी.डी.एस.के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी न होने के अभाव में इसकी कटौती नहीं की गई परन्तु इस सम्बन्ध में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अत: आहरण व संवितरण अधिकारी द्वारा उक्त प्रकरण में टी.डी.एस की कटौती किये बिना किये गये भुगतानों को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा आयकर अधिनियमों के तहत आहरण व संवितरण अधिकारी से उक्त राशि की वसूली व्याज सहित करके तुरंत सरकारी राजकोष में जमा करवाया जाये इसके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य मामलों में अपने स्तर पर गणना करके राशि को जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

8.2 कनिष्ठ अभियंता स्तर पर निष्पादित निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका इत्यादि प्रस्तुत न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी

विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्ति[illegible] व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की व्यय चयनित माह की लेखा परीक्षा के दौरान संल[illegible] **परिशिष्ट "4"** के अनुसार राशि ₹11785000 के ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों [illegible] प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन, मापन पुस्तिका, FRC व फॉर्म [illegible]C (प्रपत्र-34) इत्यादि लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए। जिसके अभाव में किये ग[illegible]ार्यों व उसमें प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय, खपत, सत्यता, प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा प[illegible]क्षा में नहीं की जा सकी।

इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या-06 दिनांक 04-07-[illegible]5 के प्रत्युत्तर में कहा कि, उक्त समस्त अभिलेख कनिष्ठ अभियंता के पास पड़े हैं। अंकेक्षण[illegible]रे उने सूचित कर दिया गया था परन्तु न तो उन्होने अभिलेख पंचायत को प्रेषित किये अ[illegible]न ही वे स्वयं उपस्थित हुए जिससे उक्त वांछित अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं [illegible]या जा सके। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है चूँकि उक्त कर्मचारियों द्वारा करवाये गए क[illegible]के अभिलेखों का पंचायत में उपलब्ध न करवाना आपत्तिजनक है। अत: उक्त वांछित[illegible]भिलेखों को उपलब्ध न करवाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये[illegible]था मामले में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत [illegible]वाया जाये।

9.1 मनरेगा अनुदान के अंतर्गत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक/अनिय[illegible] व्यय बारे।

मनरेगा परिचालन दिशा-निर्देश 2013 (MNREGA Operatinal G[illegible]lines 2013) **नियम 7.4** के अंतर्गत पंचायत स्तर पर मजदूरी व सामग्री को तय अनुपात मे[illegible]र्च किये जाने के नियम प्रावधित हैं। जिसके अंतर्गत मजदूरी लागत का भौतिक ला[illegible] से अनुपात अधिनियम में निर्धारित 60:40 (मजदूरी व सामग्री) के न्यूनतम मापदंड से[illegible]म नहीं होना चाहिए।

अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्नविवरणानुसार [illegible]ग्री पर तय अनुपात से राशि 10.27% का अधिक व्यय किया गया। चूँकि सामग्री पर [illegible] अनुपात से अधिक व्यय से रोजगार का कम सृजन हुआ परिणामस्वरूप ग्राम वासियों[illegible]ो कम कार्य दिवस मिले। जोकि न केवल उक्त दिशा-निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना है अपितु[illegible]रेगा योजना

के मौलिक उदेश्य "ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने" को भी हतोत्साहित करता है।

क्रम	विषय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय(लाखोंमें)	मजदूरी पर व्यय प्रतिशतता	सामान पर व्यय(लाखों में)	सामान पर व्यय प्रतिशतता
1.	2024-25	255.01	126.82	49.73%	128.19	50.27%
				सामाग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय		**27%**

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-07 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव ने बताया कि, मनरेगा अनुदान के तहत सामग्री पर तय अनुपात से अधिक व्यय की सक्षम अधिकारी से स्वीकृति ले ली जायेगी। अत: उक्त अनियमितता को ठोस तथ्यों सहित न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9.2 मनरेगा मटेरियल व वर्क रजिस्टर के संधारण में पाई गई विभिन्न अनियमितताओं एवं मनरेगा रोकड़ बही को प्रस्तुत न करने बारे।

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन मटेरियल रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा मनरेगा अनुदान के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्रय राशि 6[illegible]4062.00 के स्टोर/स्टॉक को ऑनलाइन रजिस्टर में तकनीकी सहायक द्वारा न तो सत्यापित किया गया था और न ही इसके अथशेष, अन्तशेष तथा स्टॉक रजिस्टर प्रविष्टि का विवरण भरा गया है इसके अतिरिक्त मनरेगा ऑनलाइन वर्क रजिस्टर के अवलोकन में पाया गया कि, इसमें कार्य पूर्ण होने की वास्तविक तिथि को नहीं भरा जा रहा है जोकि न केवल नियमानुसार अनुचित है अपितु इसके अभाव में स्टोर/स्टॉक के दुर्विनियोजन व कार्य में किसी प्रकार के अनाधिकृत समायोजन प्रविष्टि की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त मनरेगा रोकड़बही को अंकेक्षण में सत्यापनार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया केवल वित्तीय विवरण ही प्रस्तुत किये गए जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव, द्वारा सूचित किया कि, मनरेगा अनुदान मटेरियल व वर्क रजिस्टर को भविष्य में पूर्ण रूप से भरा जायेगा तथा मनरेगा रोकड़ बही पंचायत में उपलब्ध न होने के कारण प्रस्तुत नहीं की जा

सकी। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: नियमविरुद्ध अपनाई गई इस[illegible]ार्यप्रणाली को न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अ[illegible]ल में लाई जाये तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

9.3 मनरेगा के अंतर्गत किये भुगतानों के Fund Transfer Orders को प्रस[illegible] न करना।

ग्राम पंचायत के चयनित माह के अंकेक्षण में मनरेगा के अंतर्गत कि[illegible]गए भुगतान के FTOs (fund transfer orders) को अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गय[illegible]जिससे कि यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि जो बिल पंचायत द्वारा अंकेक्षण में प्रस्तुत [illegible] गए हैं वास्तव में उन्ही को भुगतान किया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 07 दिनांक 04-07-2025 को [illegible]चिव को उक्त FTOs को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने हेतु आग्रह किया, जिसके प्रत्युत्तर में स[illegible] द्वारा बताया कि मनरेगा भुगतानों के FTOs पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस कारण यह अ[illegible]क्षण में प्रस्तुत नहीं किये जा सकते। उत्तर संतोषजनक नहीं है अत: FTOs का पंचायत [illegible] पाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अत: उक्त अनियमितता को न्यायोचित ठहरा[illegible]जाये अन्यथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना [illegible]अंकेक्षण को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

9.4 मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध रिपोर्ट्स के आंकड़ों में अंतर बारे।

ग्राम पंचायत के मनरेगा ऑनलाइन में उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट्स [illegible]अवलोकन में पाया गया कि इनमें प्रदत आंकड़ों में काफी अंतर पाया गया यथा मजदूरी प[illegible]व्यय 114.04 लाख दर्शाया गया जबकि इसकी विस्तृत रिपोर्ट में यह व्यय 124.45 लाख [illegible]या गया इसी प्रकार उक्त वित्तीय वर्ष में मजदूरी व सामग्री अनुपात रिपोर्ट में कुल व्यय [illegible]55.01 लाख दर्शाया गया है जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार यह 192.20 लाख ही पाया [illegible]ा इस प्रकार उक्त विभिन्न रिपोर्ट्स के आंकड़े आपस में मेल नहीं खाते हैं।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-07 दिनांक 04-07-2025 के प्रत्युत्तर [illegible]सचिव, द्वारा सूचित किया कि, उक्त ऑनलाइन आंकड़ों की छानबीन उपरान्त लेखा पर[illegible] को अवगत करवा दिया जायेगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक नहीं है। अत: उक्त मामले म[illegible]क ही अवधि

में ग-अलग रिपोर्ट्स में पाए गए आंकड़ों के अंतर की छानबीन उपरान्त वस्तुगत स्थिति से खा परीक्षा को शीघ्र अवगत करवाया जाये।

10.1 ग्रा पंचायत द्वारा महत्वपूर्ण रजिस्टरों अभिलेखों का रख-रखाव/संधारण न करना।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 20 के **<u>नियम 29 से 31</u>** व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज सामान्य नियम के **<u>नियम 34</u>** के अ र्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा निम्न र टरों/अभिलेखों को अंकेक्षण दौरान सत्यापन हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में अं क्षण अधियाचना संख्या 03 दिनांक 30-06-2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा स्पष्ट किया कि निम्न तालिका अनुसार कुछ रजिस्टरों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जा रहा है तथा कु का अपूर्ण है।

क्र	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	संदर्भित नियम	टिप्पणी
1	बजट प्राक्कलन	11	37	अपूर्ण
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	09	30	संधारित नहीं
3	मासिक बैंक समाधान विवरणी	----	(1)15	संधारित नहीं
4	अनुदान रजिस्टर	21	(1)61	संधारित नहीं
5	वर्गीकृत सार	08	(4)29	संधारित नहीं
6	निर्माण कार्य रजिस्टर	--------	103	संधारित नहीं
7	तकनीकी जाँच पड़ताल व मंजूरी आकलन	31	(1)95	संधारित नहीं
8	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	26 व 25	AB (1) 72	अपूर्ण
9	बही खाता (Ledger)	07	(4 से 1) 29	संधारित नहीं
1	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72 (1) (d)	संधारित नहीं
12	अंकेक्षण प्रतिवेदन/प्रतिवेदनों का रजिस्टर	30	89	संधारित नहीं

ग्राम पंचायत द्वारा उक्त वर्णित अधिकतर अभिलेखों को संध त न करना व कुछ का अपूर्ण पाया जाना नियमानुसार अनुचित है। उक्त अभिलेखों का धारण न किया जाना संदिग्ध व आपत्तिजनक है। अभिलेख विशेषकर बिल रजिस्टर, स्टोर/ क रजिस्टर व मासिक बैंक समाधान विवरणी तैयार न करना न केवल प्रक्रियात्मक चूक अपितु इनके अभाव में किसी वित्तीय अनियमितता की सम्भावना को भी नहीं नकारा जा कता है। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

11 **भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंम कराधान व भत्ते) नियम 2002 के **<u>नियम 73</u>** के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 ह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत भराड़ा की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि, पंच द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गय जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपल ता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/ क का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इंका नहीं किया जा सकता। यह एक गम्भीर अनियमितता है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या-05 दिनांक 03-07-2025 के प्रत्युत्त सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा कि, भविष्य में क्रय स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत् न करवा कर विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा। उत्तर तकसंगत प्रतीत नहीं होत क्योंकि गत अवधि में क्रय किये सामान के भौतिक सत्यापन के अभाव में उसके दुरूपयो की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित क ाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

12 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की ई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश ला गया।

13. **नि[illegible]र्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार का[illegible]ाई न करके वित्तीय व विविध प्रक्रियात्मक चूक सम्बन्धी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति की[illegible]ा रही है। अत: मामला विशेष तौर पर उच्चाधिकारियों के ध्यानार्थ आगामी आवश्यक का[illegible]ाई एवं सूचनार्थ प्रेषित है।

19 AUG 2025

(कृष्ण लाल नेगी) 19.8.25
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

5[illegible]91-5395 का0/बी

पृष्ठांकन[illegible]ख्या:– फिन (एल0ए0) एच(पंच) 15(7)67/2021 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09

प्रतिलिपि[illegible] निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा हि0प्र0।

पंजीकृत

5. सचिव, ग्राम पंचायत भराड़ा, विकास खण्ड तीसा, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

19 AUG 2025

19.8.25
(कृष्ण लाल नेगी)
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

का0/बी

परिशिष्ट "1" पैरा संख्या 4.1 में संदर्भित

Annual Financial Position of GP Bharara Development Block Tissa for the Year 2024-2025

1. Own Source & [illegible]th SFC

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	47912.32	606869.00	654781.32	394348.00	260433.32

2. Grants in aid

FINANCIAL YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING YEAR	TOTAL	EXPENDITURE	CLOSING BALANCE
2024-25	[illegible]39497.00	19862825.40	20702322.40	19329811.40	1372511.00
					1632944.32

1+2= (260433.32+1372511.00) Closing Balance as per Cash Books 1632944.32

Closing Balance as per Bank Passbook 2237233.32

Difference (Less in Cash books) -604289.00

Annexure "2" referred in Audit Para 4.1

Annual Financial Position Grants in Aids of GP Bharara for the Year to 2024-2025							
Sr.No	Particulars	Year	Opening	Receipt	Total	Expenditure	Closing
1	MGNREGA	2024-25	0.00	19219936.40	19219936.40	19219936.40	0.00
2	15th FC	2024-25	839497.00	642889.00	1482386.00	109875.00	1372511.00
			839497.00	19862825.40	20702322.40	19329811.40	1372511.00

(17) 19

Annexure "3" Refferred in Para number "8.1"

Statement S[illegible]wing Detail of Payment TDS Not Deducted in r/o Gram Panchayat Bharara, Ch[illegible]ba H.P.

SR. NO.	NAME O[illegible]ENDER/ SU[illegible]IER	GRANTS/ HEAD	VOUCHER/ DATE	NAME OF MATERIAL	AMOUNT PAID	TDS 2%
1	M/S Ajay[illegible]mar Village K[illegible] PO Tikri	MGREGA	Nil/ 14-05-2024	Stone Carrige by Mule 181m3@1000	181000.00	**3620.00**
2	M/S Kha[illegible]ingh, Village B[illegible]ara, Tikrigar[illegible]amba	MGREGA	Nil / 14-05-2024	Carrige Sand 179m3@1000	179000.00	**3580.00**
3	M/S Hni[illegible] Tikrigar[illegible]	MGREGA	Nil/ 14-05-2024	Carrige Sand 135m3@1000	135000.00	**2700.00**
4	M/S Kha[illegible]ingh, Village B[illegible]ara, Tikrigar[illegible]amba	MGREGA	Nil / 14-05-2024	Carrige Sand 90m3@1000	90000.00	**1800.00**
5	M/S Kha[illegible]ingh, Village B[illegible]ara, Tikrigar[illegible]amba	MGREGA	Nil / 14-05-2024	Stone Carrige by Mule 118m3@1000	118000.00	**2360.00**
				TOTAL	**703000.00**	**14060.00**

Annexure "Y" Reffered in Audit Para no."8.2"

Sr.no/Gr[illegible]t	Work Detail	Sanction	Documents not presented
1.MGNR[illegible]A	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-5th	1153000	MB, Estimate, Work Order and Technical sanction order, UCC, Form 13C in Format-34, FRA etc.
2.MGNR[illegible]A	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-6th	1153000	
3.MGNR[illegible]A	C/o CC at Pidokari Nala	368000	
4.MGNR[illegible]A	C/o Protection work with Crate Kiloti Goth	499000	
5.MGNR[illegible]A	C/o Land Protection work Bharara Ward-1 Phase-1st	422000	
6.MGNR[illegible]A	C/o Land Protection work Bharara Ward-2 Phase-1st	422000	
7.MGNR[illegible]A	C/o Land Protection Work Bharara Ward-3 Phase-1st	422000	
8.MGNR[illegible]A	C/o Land Protection Work Chutera Phase-1st	422000	
9.MGNR[illegible]A	C/o Land Protection Work Mangluwa	422000	
10.MGN[illegible]A	C/o Land Protection Work Kiha Phase -1st	422000	
11. MGR[illegible]A	C/o Paver Tile Work Bharara Ward-3	486000	
12. MGR[illegible]A	C/o Paver work Village Chutera	486000	
13.MGRE[illegible]	C/o Interlock Tiles Mela Ground Mangluwa	496000	
14. MGR[illegible]A	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-1st	1153000	
15.MGRE[illegible]	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-2nd	1153000	
16.MGRE[illegible]	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-3rd	1153000	
17.MGRE[illegible]	C/o CC Path Dibhar to Kohla Phase-4th	1153000	
	Total	**11785000**	

सचिव
ग्राम पंचायत भरारा
विकास खण्ड तीसा

67